नीति : दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक के लिए

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशनों पर सामाजिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने संबंधी नीति

1.0 उद्देश्य

सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन होने के नाते, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सामाजिक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अपने हितधारियों (स्टेकहोल्डेर्स) को शिक्षित करने के लिए, डीएमआरसी द्वारा समय-समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डीएमआरसी द्वारा चलाए गए कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित है:-

1. दिल्ली मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम के निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों में एचआईवी/एड्स/एसटीआई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जाते हैं। इसके लिए बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, गीत, सामूहिक चर्चा, परामर्श तथा मैजिक शो आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।
2. डीएमआरसी अपने श्रमिकों और उनके बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं तथा शिक्षा सेवाएँ मुहैया करा रही है।
3. स्थानीय निवासियों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए समय-समय पर सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
4. डीएमआरसी ने तीस हजारी में 125 बच्चों के रहने के लायक एक चिल्ड्रेन होम बनाया है जिसमें 5 डोरमेट्री, दो कक्षाएं, एक खेल का मैदान, एक एम्फीथिएटर, एक पुस्तकालय और एक भोजनालय है। चिल्ड्रेन होम में सभी आवश्यक फर्नीचर प्रदान किए गए हैं और इसका प्रबंधन सलाम बालक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
5. गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के निकट कालकाजी में एक “विंटर एज होम’ खोला गया जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए ‘हेल्प एज इंडिया’ नामक गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से वर्ष, 2011 से प्रत्येक वर्ष नवम्बर से मार्च तक चलाया जा रहा है।

प्रतिष्ठित सोसाइटियों/ एनजीओ/ट्रस्ट/ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों को सहायता जारी रखने के लिए, डीएमआरसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत दिनांक 01/03/2019 से 28/02/2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित नीति प्रस्तावित है:-

2.0 पात्रता

आवेदक संगठन निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए :-

2.1 सोसाइटी/ट्रस्ट (न्यास) अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

2.2 भारत में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।

2.3 इसे गैर लाभकारी सोसाइटी होना चाहिए।

2.4 आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अधीन प्रमाणन होना चाहिए।

2.5 कभी भी किसी सरकारी/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो और न हीं उनसे कभी भी प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त हुई हो ।

2.6 इसके या इसके किन्हीं पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

2.7 निम्नलिखित विशिष्टता वाले संगठन को वरीयता दी जाएगी:-

2.7.1 जिसके पास एफ़सीआरए पंजीकरण/स्वीकृति हो।

2.7.2 जिसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ हो।

2.7.3 जो आवेदन की तारीख को केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहा हो।

2.8 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मेट्रो स्टेशनों पर गैर-वाणिज्यिक सामाजिक अभियान चलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सामाजिक अभियान चलाने के लिए सोसाइटी/एनजीओ/ट्रस्ट/प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अनुमति प्रदान करने का अंतिम अधिकार डीएमआरसी का होगा।

2.9 खंड संख्या 2.0 के अनुसार, सरकारी/सरकार द्वारा अनुदानित संगठन को इस अभियान में सुरक्षा जमा तथा अन्य दस्तावेजों से मामला -दर-मामला के आधार पर छूट दी जा सकती है ।

3.0 मीडिया की किस्म और जगह

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर पात्र संगठनों को सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करने की अनुमति होगी:-

3.1 स्टेशन

3.1.1 निर्धारित जगहों पर बैनर (अधिकतम अनुमत साइज़ 6 फुट x 4 फुट)।

3.1.2 निर्धारित जगहों पर स्टेंडीज़ (अधिकतम अनुमत साइज़ 5 फुट x 3 फुट)।

3.1.3 6 x 6 वर्गफुट के आकार एवं 10 फुट की ऊंचाई तक की केनोपी।

4.0 निर्धारित स्टेशन

सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सर्वाधित प्रयुक्त स्टेशनों तथा प्रदर्शन स्थलों को निर्धारित किया गया है :-

क्रम सं॰	स्टेशन	लाइन	क्रम सं॰	स्टेशन	लाइन
1	शाहदरा	लाइन-1	17	आजादपुर	लाइन 2/7
2	कश्मीरी गेट	लाइन-1/2/6	18	नेताजी सुभाष प्लेस	लाइन 1/7
3	विश्वविद्यालय	लाइन-2	19	वसंत विहार	लाइन 8
4	चांदनी चौक (केवल बैनर और स्टैंडीज़)	लाइन-2	20	ग्रेटर कैलाश	लाइन 8
5	चावडी बाजार (केवल बैनर और स्टैंडीज़)	लाइन-2	21	राजीव चौक पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन 2/3

6	नई दिल्ली (लाइन-2) (केवल बैनर और स्टैंडीज़)	लाइन-2	22	कश्मीरी गेट पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन 1/2/6
7	राजीव चौक (लाइन-2) (केवल बैनर और स्टैंडीज़)	लाइन-2/3	23	मंडी हाउस पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन 3/6
8	उत्तम नगर पूर्व	लाइन-2	24	इंद्रलोक पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन 1/5
9	जनकपुरी पश्चिम	लाइन-2	25	केंद्रीय सचिवालय पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-2/6
10	आनंद विहार आईएसबीटी	लाइन-4	26	मालवीय नगर पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-2
11	इंद्रलोक	लाइन-1/5	27	द्वारका पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-3
12	वेलकम	लाइन-1/7	28	विश्वविद्यालय पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-2
13	जहाँगीर पुरी	लाइन-2	29	एस्कॉर्टस मुजेसर पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-6
14	अक्षरधाम	लाइन-3	30	वैशाली पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-4
15	लाजपत नगर	लाइन 6/7	31	हुडा सिटी सेंटर पर अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान	लाइन-2
16	कालकाजी मंदिर	लाइन 6/8			

अनुमत आयोजनों के एकत्रित होने का स्थान उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कोई अन्य स्टेशन।

5.0 समयावधि एवं अन्य दिशानिर्देश

5.1 प्रचार कार्य के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतया 10 दिनों की अनुमति होगी। इस प्रयोजनार्थ, एक महीने को 3 विभिन्न अवधियों अर्थात 01-10, 11-20 एवं 21-28/29/30/31 में विभाजित किया जाएगा।

5.2 खंड 4 में वर्णित 15 स्टेशनों पर जिसमें अनुमत आयोजनों के लिए एकत्रित होने का स्थान (अधिकतम 5 इवैंट कोर्नर) शामिल है, विज्ञापन संबंधी क्रियाकलाप के लिए एक बार में किसी दो संगठनों को अनुमति दी जाएगी। चयनित स्टेशनों/इवैंट कोर्नर को उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। सामान्यतया एक संगठन को एक वर्ष में केवल एक बार हीं अनुमति दी जाएगी।

5.3 सामान्यतया किसी एक संगठन को उक्त ग्रुप में से 10 स्टेशनों तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.4 किसी एक स्टेशन पर सामान्यतया 3 बैनरों तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.5 किसी एक स्टेशन पर सामान्यतया 3 स्टैंडीज़ तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.6 किसी एक स्टेशन पर सामान्यतया 2 कैनोपी तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.7 स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में लगाए गए कैनोपी से पम्फलेट्स/ब्राशर के वितरण की अनुमति दी जाएगी। पम्फलेट्स/ब्राशर के वितरण से गंदगी हो सकती है। स्टेशन परिसरों को साफ रखने की जिम्मेदारी, प्रचार क्रियाकलाप में शामिल संगठन की ही होगी।

5.8 स्टेशन के प्लैटफ़ार्म पर किसी क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होगी।

5.9 संबंधित संगठन अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से स्थल पर सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखेगा।

5.10 अभियान के लिए ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

यदि आवेदक संगठन 10 दिनों से ज्यादा समय के लिए परियोजना जारी रखना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है किंतु डीएमआरसी मामला-दर-मामला मेरिट के आधार पर अनुमति देगी।

6.0 सामग्री और संबंधित लागत

6.1 क्रियाकलाप आवेदक संगठन की जोखिम तथा लागत पर किया जाएगा।

6.2 सूचना सामग्री पर व्यय और श्रमिकों के पारिश्रमिक का वहन संबंधित संगठन द्वारा किया जाएगा।

6.3 डीएमआरसी के लिखित अनुमोदन के पूर्व कोई सामग्री/सूचना प्रदर्शित या वितरित नहीं की जानी चाहिए।

6.4 बैनर/कैनोपी/स्टैडी दिखने में अच्छी होनी चाहिए।

6.5 प्रयुक्त सामग्री अग्निरोधक होनी चाहिए।

7.0 क्षतिपूर्ति बॉन्ड

पात्र संगठन उपयुक्त मूल्य के सम्यक रूप से नौटरीकृत स्टाम्प पेपर पर एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अभियान के दौरान मेट्रो यात्रियों, डीएमआरसी के कार्मिकों, सामग्री एवं संपत्ति तथा स्वयं उसके कार्मिकों और सामग्री को हुए किसी नुकसान, चोट, क्षति के लिए डीएमआरसी को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा ऐसी घटना के परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च को वहन करने का उसे वचन देना होगा। प्रपत्र अनुलग्नक -क में दिया गया है जिसे अभियान शुरू होने से पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

8.0 प्रतिभूति जमा राशि

पात्र संगठन भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डीएमआरसी लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25000/- रुपए की जमानत राशि अग्रिम रूप मे डीएमआरसी मे जमा करेगा। इसे सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करते हुए अभियान के सफल रूप में समापन के बाद संगठन को वापस किया जाएगा।

8.1 मामलों के आधार पर सरकारी/सरकार द्वारा अनुदानित संगठन को इस अभियान में सुरक्षा जमा में छूट दी जा सकती है।

9.0 आवेदन प्रक्रिया

9.1 सामान्यत: आवेदनों को पहले आओ, पहले पाओ आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन प्रारूप (फॉर्म) अनुलग्नक-ख में है।

9.2 आवेदनों की प्राप्ति के बाद, अनुलग्नक-ग के अनुसार प्राथमिकता रजिस्टर में ब्योरे भरे जाएंगे।

9.3 आवेदक संगठन की पात्रता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा:-

9.3.1 पंजीकरण प्रमाण पत्र

9.3.2 संगठन की उप नियमावली (बायलॉज) एवं उद्देश्य

9.3.3 आय कर अधिनियम की धारा 80-जी के अधीन प्रमाणन।

9.3.4 ट्रस्ट विलेख (डीड) या ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम (यदि कोई हो)

9.3.5 इस नीति में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेज़।

9.4 आवेदक संगठन द्वारा प्रचार के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप का ब्योरा डीएमआरसी के अनुमोदनार्थ अभियान से 45 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

9.5 डीएमआरसी को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

9.6 डीएमआरसी को पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत का अनुपालन किए बिना मेरिट एवं क्रियाकलापों और सामाजिक हित की प्राथमिकता के आधार पर किसी पात्र संगठन के प्रचार संबंधी क्रियाकलापों की अनुमति देने का अधिकार होगा।

9.7 कई आवेदनों की स्थिति में, प्राथमिकता देने का अधिकार डीएमआरसी का होगा।

10.0 निष्पादन

10.1 डीएमआरसी पात्रता मानदंड के अनुसार संगठन की पात्रता का आकलन करने के लिए आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच करेगी।

10.2 केवल पात्र संगठन को सहमति पत्र जारी किया जाएगा।

10.3 आवेदक संगठन को अभियान शुरू करने से पहले सहमति पत्र स्वीकार करना होगा और 25,000/- रुपये की जमानत राशि तथा क्षतिपूर्ति बॉन्ड करना होगा।

10.4 स्टेशन पर तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टाफ की सूची और साथ ही उनके पहचान पत्र तथा पते के प्रमाण की प्रति संस्था प्रस्तुत करेगी।

10.4.1 आधार कार्ड

10.4.2 मतदाता पहचान पत्र

10.4.3 टेलीफोन बिल

10.4.4 पासपोर्ट

10.4.5 ड्राइविंग लाइसेन्स

10.4.6 पैन कार्ड

10.4.7 मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उनके छात्रों हेतु जारी फोटोग्राफयुक्त छात्र पहचान पत्र

10.4.8 राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोग्राफयुक्त पासबुक

10.4.9 केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र

10.5 डीएमआरसी के सिक्योरिटी सेल का पास अनुभाग क्रियाकलाप की विधिमान्य अवधि के लिए इन स्टाफ के लिए फोटो प्रवेश परमिट जारी करेगा।

10.6 संगठन का प्रतिनिधि क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए स्टेशन प्रबन्धक(कों) से संपर्क करेगा। किसी भी स्थिति में, क्रियाकलाप से यात्रियों की आवाजाही में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। डीएमआरसी द्वारा निर्णय किए गए स्थान अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

10.7 संगठन, सहमति पत्र में अनुमति दिए गए क्रियाकलाप के पूरा होने के शीघ्र बाद स्थल से कार्मिकों एवं सामग्री को हटाएगा। यदि संगठन सहमति पत्र में यथा निर्धारित स्थान को खाली नहीं करता है तो डीएमआरसी को जमानत राशि जब्त करने और क्षति प्रभारों की वसूली करने का अधिकार होगा।

10.8 डीएमआरसी की संपत्ति को नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, **डीएमआरसी; नुकसान की भरपाई संगठन की जमानत राशि से कर सकती है।**

10.9 क्रियाकलाप के पूरा होने तथा संगठन द्वारा स्थान खाली करने के बाद, वह अनुलग्नक-घ में दिए गए अनुसार अभियान आरंभ/पूर्ण होने संबंधी भरे हुए प्रमाण पत्र, जो संबन्धित स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक/स्टेशन नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा और इस पर उनकी मुहर लगी होगी, के साथ जमानत राशि की वापसी के लिए अनुरोध कर सकता है।

10.10 डीएमआरसी स्थल पर किसी नुकसान/क्षति/स्थल खाली करने में बिलंब के कारण देय राशि, यदि कोई हो, को काटने के बाद, ऐसा अनुरोध करने के 15 दिनों के भीतर डीएमआरसी जमानत राशि वापस कर देगी।

10.11 यदि संगठन अभियान समाप्त होने के 48 घंटों के भीतर सामग्री को स्थल से नहीं हटाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और डीएमआरसी को स्थल से सामग्री को हटाने का अधिकार होगा।

11.0 <u>डीएमआरसी का लोगो और नाम</u>

11.1 संगठन को अन्य अभियानों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए डीएमआरसी के नाम और लोगो का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

11.2 प्रस्तावित सूचना सामग्री को डीएमआरसी के नाम और लोगो को प्रयोग करने का अधिकार डीएमआरसी लिमिटेड का होगा।

12.0 <u>अपवर्जन(एक्सक्लूजन)</u>

पात्र संगठन को निम्नलिखित बातों की आज्ञा नहीं है:-

12.1 विज्ञापन

12.2 घोषणाएँ

12.3 रेलगाड़ियों के भीतर बैनर

12.4 धार्मिक संदेश

12.5 ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग

12.6 देश के कानून द्वारा निषिद्ध कोई वस्तु

12.7 चुनाव प्रचार

यह नीति दिनांक 01/03/2019 से दिनांक 29/02/2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

अधिक जानकारी या प्रश्नों के उत्तर के लिए कृपया संपर्क करें:-

वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/परिचालन/समन्वय
चौथा तल, बी विंग,
मेट्रो भवन, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली- 110001
ईपीएबीएक्स-011-23417910 एक्सटेन्शन-534774
ईमेल : abnandan@dmrc.org

नोट:- हिन्दी अनुवाद में किसी विसंगति की स्थिति में अँग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अनुलग्नक-ए

प्रतिभू बॉन्ड
(उपयुक्त मूल्य के स्टांप पेपर पर)

मुझे (अधिकारी का नाम)................................, (पदनाम).., (संगठन)........... ...., जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में है, दिनांक......................... से दिनांक .... तक .... दिनों की अवधि के लिए .... (मेट्रो स्टेशनों के नाम) पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने के लिए डीएमआरसी लिमिटेड द्वारा प्राधृकित किया गया है। मैं एतदद्वारा उक्त अभियान की अवधि के दौरान मेट्रो यात्रियों, डीएमआरसी के कार्मिकों, सामग्री एवं संपत्ति को तथा साथ ही हमारे कार्मिकों एवं सामग्री को हुए किसी भी नुकसान, चोट, क्षति, के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने तथा घटना के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्च वहन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर...

नाम..

पदनाम...

अनुलग्नक-बी

डीएमआरसी में सामाजिक जागरूकता अभियान के लिए आवेदन

क्रम सं.	मद	ब्योरा
संगठन का ब्यौरा		
1	संगठन का नाम	
2	मुख्य व्यक्ति का नाम	
3	फोन नंबर	
4	संगठन का पंजीकृत कार्यालय	
5	क्या सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है	
6	सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकरण की तारीख	
7	सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकरण का स्थान	
8	संगठन द्वारा चलाए गए सामाजिक सेवा अभियानों का ब्यौरा	अभियान (नों) का नाम, अवधि, अवस्थान आदि लिखें।
9	क्या लाभ कमाने वाला संगठन है	हां/नहीं
10	क्या संगठन के पास आय कर अधिनियम की धारा 80-जी के अधीन प्रमाण पत्र है।	
11	उपर्युक्त 10) के लिए प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
12	क्या किसी सरकारी/विनियामक प्राधिकरण द्वारा काली सूची में	

	डाला गया है या उनसे प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त हुई है।	
13	क्या संगठन या इसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है।	
14	क्या संगठन के पास एफ़सीआरए का पंजीकरण/स्वीकृति है	
15	उपर्युक्त 14) की प्रति संलग्न करें	
16	क्या वर्तमान में केंद्रीय/राज्य सरकार के साथ काम कर रहा है	
17	उपर्युक्त 16) का ब्योरा प्रदान करें।	
अभियान का ब्यौरा		
18	अभियान का नाम/थीम	
19	अभियान की अवधि, माह एवं वर्ष (नीति के 5.1 के अनुसार)	
20	स्टेशन (नीति के 4.0 में निर्धारित) जहां अभियान चलाया जाना अपेक्षित है।	
21	क्या अभियान सामग्री आवेदन के साथ संलग्न है	हां/नहीं

संगठन सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने तथा ब्याज रहित वापस की जाने वाली जमानत राशि के रूप में 25,000/- रुपये जमा करने के लिए सहमत है। जमानत राशि डीएमआरसी की पूरी संतुष्टि के अनुसार अभियान अवधि के समापन के बाद वापस की जाएगी।

हस्ताक्षर
संगठन की ओर से

अनुलग्नक-ग

डीएमआरसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संगठनों से आवेदनों की प्राप्ति

(रजिस्टर का प्रपत्र)

....................................माह के लिए

....................................(01-10 या 10-20 या 21-28/29/30/31) की अवधि के लिए

क्रम सं.	संगठन का नाम	मुख्य व्यक्ति	संपर्क नंबर	संगठन का पता	आवंटन की तारीख	अभियान का थीम	आवेदक के हस्ताक्षर	डीएमआरसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	अभियुक्तियाँ

अनुलग्नक- घ

(कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व डीएमआरसी नीति के के अंतर्गत)

स्टेशन का नाम/लाइन ....

आवेदक संगठन का नाम ....

अभियान आरंभ करने का ब्योरा	तारीख	लगाए गए बैनरों की संख्या	लगाए गए स्टैंडीज़ की संख्या	लगाए गए कैनोपी की संख्या	आवेदक संगठन के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक के हस्ताक्षर	स्टेशन की मुहर

अभियान पूरा करने संबंधी ब्योरा	तारीख	हटाए गए बैनरों की संख्या	हटाए गए स्टैंडीज़ की संख्या	हटाए गए कैनोपी की संख्या	आवेदक संगठन के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक के हस्ताक्षर	स्टेशन की मुहर

आवेदक संगठन द्वारा खंड 10.6 से 10.11 के अनुपालन के संबंध में संबंधित स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक की अभियुक्तियाँ

*सभी मदों को समुचित रूप से अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।

टिप्पणी:- यह प्रमाण पत्र आवेदक संगठन द्वारा जमानत राशि की वापसी के लिए अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाए।